कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 78 / खनिज–कौ0 दिनांक: 04 / 05 / 2026

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कौशाम्बी के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–23 के उपनियम–(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित करते हुये शासनादेश संख्या–1875/86–2017–57(सा0)/2017 टी0सी0–I दिनांक 14.08.2017 तथा शासनादेश संख्या–2168/86–2019–57(साग0)/2017 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली, 2021 के अध्याय–4 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त विज्ञापित किया जाता हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. क्षेत्र का विवरण :–

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण							नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)	प्रथम वर्ष हेतु आंकलित न्यायालय की कुल रायल्टी धनराशि (कालम 12 में अंकित घनमीटर मात्रा को कालम 11 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर प्राप्त धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 13 में अंकित वार्षिक धनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0/खण्ड सं0	सीमा बिन्दु	अक्षांश (Latitude) N	देशान्तर (Longitude) E	क्षेत्रफल (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सा0 बालू	गंगा नदी	सिराथू	कोखराज कछार	43क़मि व 44	A	25°36'23.029"	81°31'52.716"	10.00	70	55000	3850000	962500
						B	25°36'27.910"	81°31'59.992"					
						C	25°36'18.475"	81°32'07.969"					
						D	25°36'12.352"	81°31'02.356"					
2	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	दिया कछार	गाटा सं0–1मि0, 2, 3, 4 व 5, खण्ड सं0 11/15 से 11/18	A	25°16'24.49"	81°27'24.65"	24.28	190	242800	46132000	11533000
						B	25°16'23.86"	81°27'30.19"					
						C	25°15'34.17"	81°27'10.41"					
						D	25°15'35.72"	81°27'05.49"					
3	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	धाना कछार	गाटा संख्या–64क, 65, खण्ड सं0 11/52 से 11/58	A	25°16'24.8"	81°24'44.7"	19.00	190	142500	27075000	6768750
						B	25°16'23.0"	81°25'20.6"					
						C	25°16'16.6"	81°25'18.9"					
						D	25°16'18.3"	81°24'45.0"					
4	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	महिला कछार एवं धाना कछार	गाटा सं0 64ख, 55 एवं 64क, 65 खण्ड सं0–11/59 से 11/61	A	25°16'26.155"	81°24'27.039"	14.00	190	140000	26600000	6650000
						B	25°16'24.780"	81°24'44.708"					
						C	25°16'13.040"	81°24'44.182"					
						D	25°16'13.825"	81°24'26.327"					
5	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	दिया कछार	गाटा सं0–1मि, 5, खण्ड सं0–11/3 से 11/6	A	25°16'22.50"	81°27'53.94"	20.00	190	200000	38000000	9500000
						B	25°16'22.02"	81°28'8.46"					
						C	25°16'16.09"	81°28'8.50"					
						D	25°16'12.10"	81°28'0.39"					
						E	25°15'57.82"	81°27'58.74"					
						F	25°15'58.27"	81°27'50.96"					
6	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	दिया कछार	गाटा सं0–1मि, 2 व 5, खण्ड सं0–11/7 से 11/10	A	25°16'22.56"	81°27'42.50"	18.50	190	185000	35150000	8787500
						B	25°16'22.50"	81°27'53.94"					
						C	25°16'3.98"	81°27'51.64"					
						D	25°16'4.05"	81°27'40.14"					
7	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	गढ़वा कछार	गाटा सं0–22मि, 23 खण्ड सं0–10/36 से 10/40	A	25°16'16.82"	81°28'27.89"	15.50	190	155000	29450000	7362500
						B	25°16'18.19"	81°28'53.42"					
						C	25°16'11.09"	81°28'53.40"					
						D	25°16'9.92"	81°28'26.87"					
8	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	कटरी	गाटा सं0–2160, 2162, 2163, 2170, 2171, 2172, खण्ड सं0–14/5 से 14/8	A	25°19'58.50"	81°16'12.86"	14.00	190	140000	26600000	6650000
						B	25°19'59.55"	81°16'21.33"					
						C	25°19'46.41"	81°16'28.48"					
						D	25°19'42.83"	81°16'15.82"					
9	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	कटरी	गाटा सं0–2163, 2164, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170 खण्ड सं0–14/3 से 14/4	A	25°19'50.56"	81°16'21.34"	12.50	190	125000	23750000	5937500
						B	25°20'3.99"	81°16'33.59"					
						C	25°19'50.85"	81°16'38.09"					
						D	25°19'46.61"	81°16'28.48"					
10	मोरम	यमुना नदी	मंझनपुर	जामुनापुर	गाटा सं0–2क, खण्ड सं0–	A	25°26'33.58"	81°9'32.43"	16.00	190	160000	30400000	7600000
						B	25°25'21.87"	81°9'24.46"					

Scanned with OKEN Scanner

					16/20 से 16/22	C	25°25'27.38"	81°9'13.27"					
						D	25°25'41.14"	81°9'23.86"					
11	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	जमुनापुर	गाटा सं0–2क, खण्ड सं0–16/16 से 16/17	A	25°25'13.50"	81°9'20.87"	12.00	190	120000	22800000	5700000
						B	25°25'4.94"	81°9'16.37"					
						C	25°25'10.40"	81°9'3.48"					
						D	25°25'19.53"	81°9'8.81"					
12	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	जमुनापुर	गाटा सं0–1, 2क, खण्ड सं0–16/18 से 16/19	A	25°25'12.12"	81°9'23.76"	24.28	190	240000	45600000	11400000
						B	25°25'19.80"	81°9'28.68"					
						C	25°25'32.76"	81°9'2.34"					
						D	25°25'24.36"	81°8'58.80"					
13	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	उमरावां कछार	गाटा सं0–279कक, 279कख, 280, खण्ड सं0–15/41 से 15/42	A	25°23'8.76"	81°9'57.79"	9.00	190	90000	17100000	4275000
						B	25°22'54.83"	81°10'15.76"					
						C	25°22'51.36"	81°10'13.10"					
						D	25°23'5.64"	81°9'54.33"					
14	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	नौबस्ता कछार	गाटा सं0–48ख, 49ग, खण्ड सं0–15/43 से 15/44	A	25°23'22.41"	81°9'41.48"	9.00	190	90000	17100000	4275000
						B	25°23'8.76"	81°9'57.79"					
						C	25°23'5.64"	81°9'54.33"					
						D	25°23'18.90"	81°9'34.50"					
15	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	उमरावां कछार	गाटा सं0–279कक, 279कख, 280, 396, 397, खण्ड सं0–15/38 से 15/39	A	25°22'51.10"	81°10'21.20"	10.00	190	100000	19000000	4750000
						B	25°22'36.90"	81°10'53.00"					
						C	25°22'33.90"	81°10'51.80"					
						D	25°22'48.00"	81°10'19.70"					
16	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	कटरी	गाटा सं0–2152, 2153, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2172, 2173, 2174, खण्ड सं0–14/7 से 14/10	A	25°19.59.28"	81°16'.0.96"	17.00	190	221000	41990000	10497500
						B	25°19.56.50"	81°16.12.84"					
						C	25°19.45.30"	81°16.15.66"					
						D	25°19.46.62"	81°15.58.98"					
17	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	ऐंगवा कछार	गाटा सं0–49ख खण्ड संख्या–11/37 से 11/39	A	25°16.21.48"	81°26.13.32"	16.00	190	240000	45600000	11400000
						B	25°16.17.58"	81°26.24.12"					
						C	25°16.0.90"	81°26.20.46"					
						D	25°16.4.80"	81°26.10.80"					
18	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	मखन्दा कछार	गाटा संख्या–22कि, खण्ड संख्या–10/30 से 10/34	A	25°16.19.92"	81°28.59.04"	21.50	190	215000	40850000	10212500
						B	25°16.21.84"	81°29.23.70"					
						C	25°16.11.88"	81°29.24.12"					
						D	25°16.9.42"	81°28.58.68"					
19	मौरम	यमुना नदी	मंझनपुर	रान नगर	गाटा सं0–1, खण्ड सं0–16/11 से 16/14	A	25°24'53.30"	81°09'14.24"	25.00	190	250000	47500000	11875000
						B	25°24'36.66"	81°09'10.24"					
						C	25°24'38.84"	81°08'56.32"					
						D	25°24'58.56"	81°08'56.85"					
20	मौरम	यमुना नदी	चायल	मोहम्मदाबाद (केपट का पुरवा)	गाटा सं0 389, 390,391, 392, 395, खण्ड सं0 9/25 से 9/28	A	25°17'14.51"	81°31'57.09"	16.00	190	160000	30400000	7600000
						B	25°17'22.76"	81°32'10.71"					
						C	25°17'13.72"	81°32'18.24"					
						D	25°17'04.08"	81°32'04.98"					
21	मौरम	यमुना नदी	चायल	उमरवल	खण्ड सं0–9/8 से 9/10	A	25°18'15.96"	81°33'39.03"	18.00	190	270000	51300000	12825000
						B	25°18'25.48"	81°33'52.36"					
						C	25°18'15.78"	81°34'0.57"					
						D	25°18'6.14"	81°33'47.12"					
22	मौरम	यमुना नदी	चायल	उमरवल	गाटा सं0–322, 363 खण्ड सं0–9/12 से 9/14	A	25°18'3.59"	81°33'17.96"	10.75	190	107500	20425000	5106250
						B	25°18'14.62"	81°33'34.62"					
						C	25°18'9.54"	81°33'38.59"					
						D	25°17'58.75"	81°33'21.66"					
23	मौरम	यमुना नदी	चायल	कटैया	गाटा सं0–602, 603, 604, 639, 640, 641, 642, 660, खण्ड सं0–10/17 से 10/18	A	25°16'35.16"	81°30'14.41"	18.00	190	180000	34200000	8550000
						B	25°16'37.19"	81°30'23.20"					
						C	25°16'14.62"	81°30'27.43"					
						D	25°16'12.96"	81°30'18.11"					
24	मौरम	यमुना नदी	चायल	तिल्हापुर	गाटा सं0–2978, खण्ड सं0 –8/3 से 8/4	A	25°19'43.57"	81°35'25.60"	19.50	190	195000	37050000	9262500
						B	25°20'7.82"	81°35'58.71"					
						C	25°20'3.41"	81°36'2.05"					
						D	25°19'39.33"	81°35'29.12"					

2. ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल पर स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगें। पट्टा अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई–निविदा सह ई–नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नही की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4. ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई–निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नही किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुये द्वितीय चरण में ई–नीलामी करायी जायेगी, जिसके दौरान बिडर्स ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई–बिड दे सकता है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुये बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
5. किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होगें, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रकिया आनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
8. इच्छुक आवेदको के लिये आनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0 एस0 टी0 सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अई आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेगें। ई–निविदा सह ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रकिया के दौरान DSC की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन अधिकतम 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रकिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) के पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी आवेदक ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में रू0–15,000/–(रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
10. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0लि0 मे पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पडेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई मेल से प्राप्त होगी, जिसके पश्चात बिडर्स द्वारा आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स द्वारा वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0–2,360/–(रू0–दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0 पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0लि0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(2)आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है वहां इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

12. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय की बेवसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्रावधानों के अर्न्तगत अर्ह हों। उक्त नियमावली के नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया मे भाग नही ले सकते हैं :–

(1)जो भारतीय राष्ट्रिक नही है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3)जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि से 25 प्रतिशत से कम न हो, प्रस्तुत न किया हो।

13. ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0लि0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।

14. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक रू0–15000/–(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

15. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत् उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।

16. जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

17. अधिकतम 02 (दो) खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) के पक्ष मे स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों मे एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष मे दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टे स्वीकृत करा लिये जाते हैं तो अन्त मे स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त कर, पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50है0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष मे दो खनन पट्टे या 50 है0 से अधिक खनन पट्टे हेतु जारी आशय पत्र (एल0ओ0आई0) की सूचना देता है तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली 2021 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से अच्छादित नहीं होंगे।

18. ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया :–

(1)ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण मे केवल ई–निविदा विज्ञापन मे निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अनुसूची–1 मे उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई–निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक–पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगी :–

(क) यदि प्रथम चरण मे एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये

Scanned with OKEN Scanner

निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण मे केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) मे प्रति घनमीटर मे दी गयी दर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र मे से खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पांच या पांच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रकिया मे भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष मे जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पांच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी मे भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–17(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रकिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रकिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रकिया होगी, जिसमें प्रथम चरण मे प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) ई–नीलामी की प्रकिया, जो ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 (दो) घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, मे इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली मे कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की आनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली आनलाईन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय मे यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी तब तक 05 मिनट के अन्तराल मे कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

(7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :–

बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई–निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाईट पर वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है। बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि	दिनांक 05.06.2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से दिनांक 10.06.2026 (सायं 05:00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन एवं द्वितीय चरण ई–नीलामी की अवधि	1. क्रमांक संख्या 01 व 02 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 11.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 2. क्रमांक संख्या 03 व 04 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 12.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 3. क्रमांक संख्या 05 व 06 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 15.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 4. क्रमांक संख्या 07 व 08 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 16.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 5. क्रमांक संख्या 09 व 10 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 17.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 6. क्रमांक संख्या 11 व 12 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 18.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 7. क्रमांक संख्या 13 व 14 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 19.06.2026 की पूर्वाह्न 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाह्न 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही।

Scanned with OKEN Scanner

	8. क्रमांक संख्या 15 व 16 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 22.06.2026 की पूर्वाहन 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाहन 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 9. क्रमांक संख्या 17 व 18 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 23.06.2026 की पूर्वाहन 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाहन 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 10. क्रमांक संख्या 19 व 20 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 24.06.2026 की पूर्वाहन 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाहन 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 11. क्रमांक संख्या 21 व 22 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 29.06.2026 की पूर्वाहन 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाहन 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही। 12. क्रमांक संख्या 23 व 24 पर अंकित क्षेत्र दिनांक 30.06.2026 की पूर्वाहन 10:00 बजे निविदा खोला जाना एवं पूर्वाहन 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ई–नीलामी की कार्यवाही।

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :–

क. प्रथम चरण की निविदा प्रकिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रकिया के समापन के पश्चात अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख. एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलो में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

19. **पट्टे का दिया जाना**:–उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–28 के प्राविधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त शासनादेश संख्या–1875/86–2017–57(सा0)/2017 टी0सी0–I दिनांक 14.08.2017 के बिन्दु संख्या–17 में दिये गये प्रकिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

20. ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र में स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0 प्र0 लखनऊ के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख–सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

21. आशय लेटर (लेटर आफ इन्टेंट) में निम्न विवरण होंगे :–

(1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना खनन पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घनमीटर को निविदा/नीलामी की दर रूपया प्रति घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2)सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त मे समायोजित कर ली जायेगी।

(3)पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किस्तें एवं अनुवर्ती वर्षो मे बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारकों द्वारा पंचम अनुसूची की प्रकिया के अर्न्तगत धनराशि जमा करने के प्रस्तुत अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4)पट्टाधारक उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021नियम–17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियो–कोआर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम–36 के अनुसार सीमा–स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(5) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–36 के प्राविधानों के अर्न्तगत चयनित आवेदक निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि–उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त से अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के तीस दियसों के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर नियमानुसार खनन संकिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

22. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :–

(1) स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र मे अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (जिसमें प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग मे लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के 02 कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से/ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिय शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

23. <u>विज्ञापन की शर्तें</u> :–

(1)ई–निविदा सह ई–नीलामी मे भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध मे मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा सह–ई नीलामी मे भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(2) खनन स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण पट्टाधारक द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा किसी तीसरे पक्ष के साथ विवाद/समस्या उत्पन्न होने पर उसका निस्तारण पट्टाधारक द्वारा स्वयं अपने स्तर से करेगा। राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी न होगी।

(3) पट्टाधारक खनन पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।

(4) पट्टा विलेख के निष्पादन के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन संकिया तत्काल प्रारम्भ की जायेगी। खनन संकियाये प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संकियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(5) पट्टाधारक नियम–36 के अनुसार वाहनो के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृष्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप मे अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(6) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनो को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सुरक्षित करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम–60 के अर्न्तगत शास्ति का भागीदार होगा।

(7) पट्टेधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर मे से जो कम हो, अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई में खनन संक्रियाये नही करेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र मे खनन नही किया जायेगा।

(9) नदी की जल धारा में शक्सन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

(10) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(11) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(12) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, अधिसूचनाओं का पालन किया जायेगा।

(13) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रकिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन भी पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(15) जनपद में विज्ञापित क्षेत्रों को वापस लेने/निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी/उ0प्र0 शासन को होगा।

(16) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 10(3)–किसी व्यक्ति के पक्ष में उपखनिज बालू/मोरम के अधिकतम पांच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने के स्थान पर अब संशोधित प्राविधान के अनुसार किसी एक व्यक्ति के पक्ष में दो खनन पट्टे या पचास हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे स्वीकृत नही किये जायेंगे।

(17) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 17–स्वीकृत खनन क्षेत्र के सर्वेक्षण/सीमाबन्धन के सम्बन्ध मे दो स्थायी बिन्दुओं का संदर्भ लेकर सीमा बिन्दुओं का जियो–कोआर्डिनेट लेते हुये सीमांकन/सर्वेक्षण किया जायेगा।

(18) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 26–बोलीदाता द्वारा, स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत किया जायेगा।

(19) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 27(3)–उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टो के वार्षिक देयता की त्रैमासिक किस्त के स्थान पर माहवार किस्त का संदाय किये जाने हेतु पंचम अनुसूची जोड़ा गया है। मानसून अवधि (जुलाई, अगस्त, सितम्बर), जिसमें खनन कार्य बन्द होता है, को छोड़कर शेष 09 माह में प्रथम किस्त 20 प्रतिशत तथा अन्य 08 माह में 10 प्रतिशत प्रत्येक माह की पहली तिथि को देय होगी।

(20) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 28(2)(दो)–प्रथम वर्ष की देय धनराशि का निर्धारण पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा को ई–निविदा/ई–नीलामी में प्राप्त दर (Rate) से गुणा कर किया जायेगा।

(21) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 30–खनन पट्टा अभ्यर्पण का नियमावली में प्राविधान किया गया है। पट्टाधारक द्वारा अभ्यर्पण की आशयित दिनांक (Intended day of surrender) को प्रतिभूति की जमा धनराशि एवं उस वर्ष की वार्षिक देय किस्त के 25 प्रतिशत की धनराशि को जमा

Scanned with OKEN Scanner

कर, पर्यावरण अनापत्ति प्रमात्र पत्र को हस्तान्तरित करने सम्बन्धित अनापत्ति एवं क्षेत्र से निकाले गये खनिज की मात्रा का आंकलन करने के उपरान्त देय समस्त धनराशि के जमा की अनापत्ति के आधार पर खनन पट्टे का अभ्यर्पण किया जा सकेगा।

(22) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 35(2)–आशय पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर चयनित आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत की जायेगी। खनन योजना के अनुमोदनोपरान्त एक माह के भीतर पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

नियम 35(4)–पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति की प्रकिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का समाधान करने हेतु परियोजना प्रस्तावक बाध्य होगा।

नियम 35(5)–पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करना होगा। बालू/मोरम के खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन संकिया तत्काल प्रारम्भ की जायेगी।

(23) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 41(ज)–विशेष परिस्थितिवश पट्टा क्षेत्र में खनन संकिया बाधित होने की स्थिति में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आगामी किस्त के सापेक्ष बाधित अवधि के दौरान संदेय किश्त के समतुल्य धनराशि का समायोजन संदेय देयों से आनलाईन किया जायेगा।

(24) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(झ)–भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।

(25) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(ज) के अधीन उपबन्धों के अनुसार जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रूपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

(26) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 59(2)–खनन पट्टा अन्तर्गत कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात अवशेष धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(27) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(1)–नियम–35 के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक पर रू0–10,000.00 प्रतिदिन की शास्ति तथा प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किस्त और प्रतिभूति धनराशि समपहृत करते हुये आशय–पत्र (Letter of Intent) निरस्त किया जायेगा।

नियम 60(6) के उल्लंघन की दशा में प्रत्येक चूक के लिये खनन पट्टाधारक पर रू0–25,000 शास्ति अधिरोपित किये जाने तथा शास्ति जमा न करने पर प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

नियम 60(7)–नियम–35(5) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पक्ष में जारी आशय–पत्र (Letter of Intent) निरस्त किया जा सकता है।

(28) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 61(2) खनन पट्टा की शर्तो के उल्लंघन की दशा में नियम–61(1) के अनुसार अथवा पट्टा अर्न्तगत देय धनराशि जमा न करने पर नियम 59 के अर्न्तगत खनन पट्टा निरस्त करने पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष से अनधिक अवधि के लिये खनन पट्टा धारक का नाम काली सूची में डाला जा सकता है।

(29) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 64(2)–आवेदक/पट्टाधारक के मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में खनन पट्टा का आवेदन पत्र/निष्पादित खनन पट्टा स्थानान्तरण का आदेश जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जा सकता है।

(30) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के मात्रा आदि के सम्बन्ध में Replenishment study/शासन/मा0 एन0जी0टी0/मा0 न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।

(31) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के खनिजों के परिवहन हेतु परिवहन प्रपत्र एम0एम0–11/ई–एम0एम0–11 में खनिज की मात्रा के साथ–साथ इसके मूल्य को भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

(32) जहॉ प्रस्तावक निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने की सम्पूर्ण वांछित प्रकियाओं को पूरा करने में विफल हो जाये, वहॉ जिलाधिकारी प्रस्तावक के पक्ष में जारी आशय पत्र को निरस्त कर सकता है।

(33) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्तें, जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, विज्ञप्ति उपरान्त भी जोड़ा जा सकता है।

<u>अन्य नियम एवं शर्तें:–</u>

Scanned with OKEN Scanner

1. सफल ई–बोलीदाता/ई–निविदादाता को खनन क्षेत्र मे पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होगा। राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी न होगी।
2. सफल ई–बोलीदाता/ई–निविदादाता को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों,अधिसूचनाओं तथां मा0 न्यायालयों के आदेशों, का अक्षरशः पालन करना होगा।
3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा खदान के निकास स्थल पर तौल मशीन लगावाकर खनिज निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्ट्रिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त साफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया जायेगा। इन्टीग्रेट्स में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है :–
   (1)The Weight Bridge device should use the MQTT protocol transmit data.
   (2) The Weight Bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.
4. यदि कोई भी निविदाकार भविष्य में सक्षम स्तर की तकनीकी जॉच/Cyber Expert की जॉच में निविदा प्रकिया में Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से दोष–सिद्ध पाया जायेगा, तो आवेदक के पक्ष में निर्गत आशय पत्र को निरस्त कर, जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत करते हुये वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
5. उपरोक्त क्षेत्रों मे से किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है।

(डॉ0 अमित पाल)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

पत्रांकः /खनिज–कौशा0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न विज्ञापन पत्र को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कौशाम्बी।
6. उपजिलाधिकारी चायल/मंझनपुर/सिराथू को व्यापक प्रचार–प्रसार तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC), कौशाम्बी।
8. खान अधिकारी, कौशाम्बी को व्यापक प्रचार–प्रसार तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
9. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लि0 लखनऊ।
10. नाजिर, कलेक्ट्रेट–कौशाम्बी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

Digitally signed by AMIT PAL
Date: 13 May 2026 20:02:27
Kaushambi

Scanned with OKEN Scanner